बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक   जुलाई, 2016

संख्या–2/आ0–70–01/16 गृ0आ0   /श्री मनोज कुमार सुधांशु, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक बिहार सैन्य पुलिस–15, बगहा सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, पूर्णिया के विरूद्ध आरोप है कि वे ईशापुर (कोलकत्ता) तथा काशीपुर से 193 (एक सौ तीरानवे) वक्शे तथा 20 (बीस) बोरा बंद 05 (पाँच) ट्रक सामान जिसमें शस्त्र एवं गोलियाँ थी, लाया गया था।

2. श्री सुधांशु, पुलिस उपाधीक्षक ने उक्त सामान के Unloading पर हुए खर्च के ब्यौरे में अप्रत्यानुपातिक रूप से अत्याधिक राशि का अभिश्रव प्रस्तुत करते हुए भुगतान का दावा (Claim) किया। इस मामले की जाँच समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस–10, पटना से करायी गयी। उनसे प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री सुधांशु द्वारा Unloading में लापरवाही तथा अनियमितता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है।

इस संबंध में श्री सुधांशु से स्पष्टीकरण की मांग की गई जिसे समीक्षोपरान्त असंतोषजनक पाया गया है, फलतः श्री सुधांशु के विरूद्ध विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है।

3. श्री मनोज कुमार सुधांशु के विरूद्ध विभागीय जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपीलीय) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। श्री सुधांशु के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अनिल किशोर यादव, पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं नियम 17 (5) 'ग' के तहत प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना अपने स्तर से मनोनित करेगें। श्री सुधांशु से अपेक्षा की जाती है कि वे विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग के कार्यालय में इस संकल्प की प्राप्ति की तिथि से 10 (दस) दिनों के अंदर या संचालन पदाधिकारी के द्वारा निदेशित तिथि को स्वंय उपस्थित हो।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि एक–एक प्रति पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना सह संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं वचाव अभिकथन (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ अपेक्षित कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(देव नारायण मंडल)
सरकार के संयुक्त सचिव

(9)

ज्ञापांक–2/आ0–70–01/16 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना सह संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही तुरंत आरंभ कर संचालन की कार्रवाई शीघ्र पुरा कर जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में विभाग का उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2/आ0–70–01/16 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री मनोज कुमार सुधांशु तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस–15, बगहा पुलिस उपाधीक्षक, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को इसकी प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही इस मामले में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी भी शीघ्र नामित कर दी जाय।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2/आ0–70–01/16 गृ0आ0 5319 /पटना, दिनांक 12 जुलाई, 2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11/7/2016
सरकार के संयुक्त सचिव